



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-1443/MP/8/2023-ESDW

दिनांक: 28.03.2023

श्री मोतीलाल,
पिता वरदु,
ग्राम झकनावद,
झाबुआ,
मध्य प्रदेश


विषय: जमीन पर अवेध कब्जा करने के लिए मार पीट करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में श्री मोतीलाल, पिता वरदु, ग्राम झकनावद, झाबुआ, मध्य प्रदेश का दिनांक 17.03.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 10.04.2023 को 04:30 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी